भाग–ई

नियम

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम् 1960 के अधीन

(पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II – खण्ड 3 – उप खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 929 नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2001/पौष 3, 1923

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1256 (अ) पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का प्रारूप के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (1), तारीख 2 नवंबर 2001 में संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 816 (अ) तारीख 2 नवंबर 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था और ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं 30 दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 2 नवंबर, 2001 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जनता से प्राप्त आक्षेप/सुझाव नियमों में सम्मिलित कर लिए गए हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 है

   (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 अभिप्रेत है;

   (ख) "पशु कल्याण संगठन" के अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसायटी फार प्रिवेन्शन आफ क्रूयलिटी टू एनिमल्स (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसायटी) और ऐसा कोई अन्य पशु कल्याण संगठन भी है जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है;

   (ग) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित और धारा 5क के अधीन पुनः गठित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

   (घ) "समिति" से इन नियमों के अधीन नियुक्त समिति अभिप्रेत है;

   (ड़) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगरपालिक समिति जिला बोर्ड पर अन्य ऐसा प्राधिकार अभिप्रेत है जिसे तत्समय

किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर किन्हीं विषयों का नियंत्रण और प्रशासन, विधि द्वारा विनिहित किए गए हैं;

(च) "स्वामी" से किसी पशु का स्वामी अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा अन्य व्यक्ति भी है, जिसके कब्जे या अभिरक्षा में ऐसा पशु है भले ही वह स्वामी की सहमति से हो अथवा नहीं;

(छ) "पशु चिकित्सक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय की डिग्री है और वह भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत हैं :

3. कुत्तों का वर्गीकरण और उनका बंध्यकरण : (1) सभी कुत्तों को निम्नलिखित दो प्रवर्गों में से किसी एक में अर्थात् (i) पालतू कुत्तों, (ii) आवारा कुत्तों में वर्गीकृत किया जाएगा।

(2) पालतू कुत्तों का स्वामी इन नियमों और किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार नियंत्रित प्रजनन, असंक्रमीकरण, बंध्यकरण और अनुज्ञापन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) आवारा कुत्तों को पशु कल्याण संगठनों, प्राइवेट व्यष्टियों और स्थानीय प्राधिकारी के सहयोग से बधिया और असंक्रमित किया जाएगा।

4. समिति की विरचना : स्थानीय प्राधिकारी द्वारा एक मानीटरिंग समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) स्थानीय प्राधिकारी का आयुक्त/प्रधान जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी के लोक स्वास्थ्य विभाग का एक प्रतिनिधि;

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के पशु कल्याण विभाग, यदि कोई हो, का एक प्रतिनिधि;

(घ) एक पशु चिकित्सक;

(ङ) डिस्ट्रिक्ट सोसायटी फार प्रिवेन्शन आफ क्रूयलिटी टू एनिमल्स (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए जिला सोसायटी) का एक प्रतिनिधि;

(च) उक्त स्थानीय प्राधिकारी के भीतर संचालित पशु कल्याण संगठनों से कम से कम दो प्रतिनिधि

5. समिति के कृत्य : नियम 4 के अधीन गठित समिति इन नियमों के अनुसार कुत्ता नियंत्रण कार्यक्रम की योजना और प्रबंधन के लिए उतरदायी होगी। समिति –

(क) कुत्तों को पकड़ने, उनके परिवहन, आश्रय, बंध्यकरण, टीकाकरण और उपचार हेतु तथा बधिया किए गए, टीके लगाए गए या उपचार किए गए कुत्तों की निर्मुक्ति के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी;

(ख) पशु चिकित्सक को प्रत्येक मामले के आधार पर ऐसे आवारा कुत्तों को पकड़ने की आवश्यकता के बारे में विनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो गंभीर रूप से बीमार हैं या घातक रूप से क्षतिग्रस्त है या पागल है;

(ग) सार्वजनिक जागरूकता पैदा कर सकेगी, सहयोग और निधि की मांग कर सकेगी;

(घ) समय–समय पर पालतू के स्वामियों और वाणिज्यिक प्रजनकों को मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध करा सकेगी;

(ड़) किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा आवारा कुत्तों की संख्या का सर्वेक्षण करवा सकेगी;

(च) कुत्ता काटने के कारणों को सुनिश्चित करने, वह क्षेत्र जहां यह घटना हुई और क्या वह कोई भटका हुआ कुत्ता या पालतू कुत्ता या सुनिश्चित करने के लिए कुत्ता काटने के मामलों की मानीटरिंग के लिए ऐसे कदम उठा सकेगी;

(छ) आवारा कुत्तों के नियंत्रण और टीकाओं के प्रबंध, विकास और बंध्याकरण, टीकाकरण आदि के कम लागत

वाले तरीकों के बारे में शोध के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रगतियों पर ध्यान रख सकेगी।

6. स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं : (1) स्थानीय प्राधिकारी

(क) पशु घरों/आश्रय गृहों सहित पर्याप्त संख्या में कुत्ता बाड़ों की स्थापना की जिनका प्रबंध पशु कल्याण संगठनों द्वारा किया जा सकेगा;

(ख) आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनके परिवहन के लिए अपेक्षित संख्या में ढलान वाले कुत्ता वाहनों की;

(ग) प्रत्येक कुत्ता वाहन पर उपलब्ध कराए जाने वाले एक चालाक और दो प्रशिक्षित कुत्ता पकड़ने वालों की;

(घ) बंध्यकरण और असंक्रमीकरण के लिए चल केन्द्र के रूप में उपलब्ध कराए जाने वाले एक एंबुलैंस एवम् क्लीनिकल वैन की;

(ङ) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पशु शवों के व्ययन के लिए स्थापित किए जाने वाले निर्दाहकों की;

(च) आश्रय गृह या बाड़े की समय–समय पर मरम्मत की व्यवस्था करेगा।

(छ) यदि नगर निगम या स्थानीय प्राधिकारी आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना समीचीन समझता है तो यह पशु कल्याण संस्थाओं प्राइवेट व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकारी के सहयोग से आवारा कुत्तों को बधिया और असंक्रमित करने पर निर्भर करेगा।

3. पशु कल्याण संगठनों को बंध्यकरण/असंक्रमीकरण के व्ययों की ऐसी दर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जो समिति द्वारा किए गए बंध्यकरण/असंक्रमीकरण पर धारित पक्षिक आधार पर नियत की जाए।

7. पकड़ना/बंध्यकरण/असंक्रमीकरण/निर्मुक्ति : (1) कुत्तों को निम्नलिखित के आधार पर पकड़ना जाएगाः

(क) विनिर्दिष्ट शिकायतें (जिसके लिए स्थानीय प्राधिकारी मानीटरिंग समिति के परामर्श से एक क्रुत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा जो कुत्ता न्यूसेंस (उपताप), कुत्ता काटने के बारे में शिकायतें तथा पागल कुत्तों के बारे में सूचना प्राप्त करेगा) और

(ख) साधारण

(i) न्यूसेंस या कुत्ता काटने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर पूर्विकता के आधार पर उस क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना कार्यवाही की जाएगी जिससे शिकायत आती है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर स्थायी अभिलेख के लिए रखे गए रजिस्टर में उसका ब्यौरा जैसे शिकायत करने वाले का नाम, उसका पूरा, पता, शिकायत की तारीख और समय, शिकायत की प्रकृति आदि लेखबद्ध किए जाएंगे।

(ii) सामान्य प्रयोजन के लिए कुत्तों को ऐसी तारीखों और समय पर पकड़ा जाएगा जो समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) कुत्ता पकड़ने वाले दस्ते में निम्नलिखित होंगे।

(i) कुत्ता वाहन का चालक

(ii) स्थानीय प्राधिकारी के दो या अधिक प्रशिक्षित ऐसे कर्मचारी जो कुत्ता पकड़ने में प्रशिक्षित हैं;

(iii) किसी पशु कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधि।

कुत्ता दस्ते का प्रत्येक सदस्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विधिमान्य पहचान पत्र अपने साथ ले जाएगा; कुत्ता पकड़ने वालो दस्ते के साथ इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट किसी पशु कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधि होगा।

(3) विनिर्दिष्ट शिकायत की प्राप्ति पर या सामान्य अनुक्रम में कुत्ता पकड़ने के लिए कुत्ता दस्ता संबद्ध क्षेत्र में जाएगा, शिकायत पर आधारित पकड़ने के मामले में शिकायत करने वाले द्वारा पहचान किए गए कुत्तों और

सामान्य पकड़ की दशा में अन्य कुत्तों को पकड़ेगा। पहचान के प्रयोजनों के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बंध्यकरण और टीकाकरण के पश्चात कुत्तों को उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है सभी पकड़े हुए कुत्तों को टैग किया जाएगा। पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम लक्ष्य के अनुसार कुत्तों को नियत संख्या में ही वैन द्वारा पकड़ा जाएगा। पकड़े गए कुत्तों का एक अभिलेख एक रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसमें उक्त क्षेत्र/परिक्षेत्र का नाम, पकड़ने की तारीख और समय, उस विशिष्ट दिन को कुत्ता दस्ते में सम्मिलित व्यक्तियों का नाम तथा पकड़े गए कुत्तों के ब्यौरे, जैसे नर कुत्तों की संख्या, मादा कुत्तों की संख्या, पिल्लों की संख्या आदि का ब्यौरा वर्णित किया जाएगा।

(4) कुत्तों को मानवीय तरीकों का उपयोग करते हुए जैसे पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं को पकड़ना) नियम, 1979 के उपबंधों में विहित पशुओं को पकड़ने के तरीकों की तरह फांसे या मुलायम फंदे जैसे मानवीय तरीकों का उपयेाग करते हुए पकड़ा जाएगा।

(5) जब किसी परिक्षेत्र में कुत्तों को पकड़ा जा रहा हो तब कुत्ता दस्ते के साथ चल रहा स्थानीय प्राधिकारी का प्रतिनिधि या पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि लोक संबोधन प्रणाली पर यह घोषणा करेगा कि उस क्षेत्र से कुत्तों को बंध्यकरण और असंक्रमीकरण के प्रयोजन के लिए पकड़ा जा रहा है और उनको बंध्यकरण और असंक्रमीकरण के पश्चात् उसी क्षेत्र में छोड़ जाएगा। मानीटरिंग समिति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। उक्त घोषणा से उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को कुत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में शिक्षित किया जा सकेगा और उनको यह आश्वासन देते हुए सभी निवासियों के समर्थन की मांग की जा सकेगी कि स्थानीय प्राधिकारी उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है।

(6) पकड़े गए कुत्तों को पशु कल्याण संगठनों द्वारा प्रबंधित कुत्ता गृहों/कुत्ता बाड़ों में लाया जाएगा। कुत्ता बाड़ों में पहुंचने पर सभी कुत्तों की पशु चिकित्सकों द्वारा परीक्षा की जाएगी और स्वस्थ तथा बीमार कुत्तों को अलग किया जाएगा। बीमार कुत्तों को पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसायटी/अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे, अस्पतालों में उपयुक्त उपचार के लिए दिया जाना चाहिए और उनका उपचार किए जाने के पश्चात् ही उन्हें बधिया किया जाना चाहिए और टीका लगाया जाना चाहिए। पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसायटी, पशु कल्याण संगठन या अन्य कुत्ता आश्रय गृहों द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल के पशु चिकित्सकों के पर्यवेक्षण के अधीन बधिया किया जाएगा/टीका लगाया जाएगा। उसके पश्चात् आवश्यक अवधि के पश्चात् कुत्तों को उसी स्थान या परिक्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा जहां से उनको पकड़ा गया था और उनकी निर्मुक्तिकी तारीख, समय और स्थान को लेखबद्ध किया जाएगा। पशु कल्याण संगठनों का प्रतिनिधि निर्मुक्ति के समय भी कुत्ता दस्ते के साथ जाएगा।

(7) एक समय पर केवल कुत्तों का एक लोट ही एक परिक्षेत्र से बंध्यकरण/असंक्रमीकरण के लिए एक कुत्तागृह या कुत्ता बाड़े में लाया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों या परिक्षेत्रों से दो लाटों को एक ही कुत्ता बाड़े या कुत्ता गृह में नही मिलाया जाएगा।

(8) कुत्ता गृह में कुत्तों के उचित निवास और स्वच्छन्द चलन के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। उक्त स्थान में उचित समवातन और प्राकृतिक रोशनी होनी चाहिए तथा वह साफ रखा जाना चाहिए। वयस्कों और पिल्लों को अलग–अलग रखा जाना चाहिए तथा वयस्कों में भी नर और मादाओं को भी अलग–अलग रखा जाना चाहिए। पेयजल तथा भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी जब उन्हें बंधीगृह में रखा जाए।

(9) गर्भवती पाए गए मादा कुत्तों का गर्भपात नहीं कराया जाएगा (भले ही उनके गर्भ की कोई भी स्थिति) और उनका बंध्यकरण भी नहीं कराया जाएगा तथा उन्हें जब तक वह बच्चा न दे दें, नहीं छोड़ा जाएगा।

8. **पहचान और अभिलेखन :** बधिया किए गए कुत्तों को उनके छोड़े जाने से पूर्व टीका लगाया जाएगा तथा इस बारे में पहचान के लिए कि उनको बधिया कर दिया गया है या असंक्रमित कर दिया गया है उनके कान में टाटू/निक लगा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहचान के लिए कुत्तों को टोकन/नाइलोन के कालर भी दिए जा सकेंगे तथा ऐसे कुत्तों के ब्यौरे रखे जाएंगे कुत्तों का ब्रांडिंग अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

9. **आवारा कुत्तों की सुखमृत्यु :** असाध्य बीमारी और घातक रूप से घायल कुत्तों को जैसा कि समिति द्वारा नियुक्त अर्हता प्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा जांच की गई हो किसी अर्हता प्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा वयस्क कुत्तों को सोडियम पैंटाथोल देकर और पिल्लों को थियोपेंटल इन्ट्रोपैरीटोनियल देकर मानवीय रीति में विनिर्दिष्ट समय के दौरान सुखमृत्यु दी जाएगी या भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य मानवीय रीति से सुखमृत्यु दी जाएगी। किसी कुत्ते को किसी अन्य कुत्ते के समक्ष सुखमृत्यु नहीं दी जाएगी। सुखमृत्यु देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति व्ययन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त पशु मर चुका है।

10. **उन्मत्त और विस्मित पागल कुत्ते** (1) स्थानीय प्राधिकारी के कुत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ को जनता से शिकायतें प्राप्त होने पर या अपनी ओर से, स्थानीय प्राधिकारी का कुत्ता दस्ता ऐसे प्रकट पागल कुत्तों को पकड़ ले।

(2) तब पकड़े गए कुत्तों को कुत्ता बाड़े में ले जाया जाएगा जहां उसे बाड़ों मे अलग–अलग रखा जाएगा।

(3) तब संदेह युक्त पागल कुत्ते का दो व्यक्तियों अर्थात्

(i) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त पशु शल्य चिकित्सक और

(ii) किसी पशु कल्याण संगठन से प्रतिनिधि

के पैनल द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

(4) यदि उक्त कुत्ते के बारे में यह पाया जाता है कि उसे रैबीज होने की अत्यधिक संभावना है तो उसे उस समय तक अलग रख जाएगा जब तक कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती है। सामान्य दशा में ऐसी मृत्यु रैबीज के पैदा होने के दस दिन के भीतर हो जाती है। इस प्रकार संदेह युक्त पागल कुत्तों की समय पूर्व मृत्यु से रैबीज की सही घटना के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है और समुचित कार्यवाही भी नहीं की जाती है।

(5) यदि कुत्ते के बारे में यह पाया जाता है कि उसे रैबीज संसर्ग नहीं है बल्कि कोई अन्य बीमारी है तो उसे पशु कल्याण संगठन को सौंप दिया जाएगा जो उक्त कुत्ते के पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा।

11. **पशु शवों का व्ययन :** सुखमृत्यु प्राप्त ऐसे कुत्तों के शवों का स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्दाहक में व्ययन किया जाएगा।

12. **अभिजनकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत**

(i) अभिजनक भारतीय पशु कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए

(ii) अभिजनक को व्यष्टिक कुतियाओं से जन्में/मरे हुए पिल्लों की संख्या का पूरा अभिलेख र ख न ा चाहिए।

(iii) अभिजनक को पिल्लों को खरीदने वाले व्यक्ति का अभिलेख रखना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रेता पिल्लों के रख–रखाव के लिए अपेक्षित ज्ञान रखता है।

13. जहां पर स्थानीय उपविधियां विद्यमान हो वहां इन नियमों का लागू होना – यदि किसी ऐसे क्षेत्र में जिसको ये नियम विस्तारित किए जा रहे हैं, कोई अधिनियम, नियम, विनियम या ऐसे किन्हीं विषयों की बाबत राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बनाई गई उपविधि प्रवर्तन में है जिसके लिए इन नियमों मं उपबंध किए गए हैं तो ऐसे नियम, विनियम या उपविधि उस सीमा तक जिस तक –

(क) उनमें इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों की तुलना में पशु के लिए कम कष्टप्रद उपबंध अंतर्विष्ट हैं, लागू होंगे,

(ख) उनमें इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों की तुलना में पशुओं को अधिक कष्टप्रद उपबंध अंतर्विष्ट हैं, प्रभावी नहीं होंगे।

(सं.फा.1–4/2001/ए डब्ल्यू डी)

के.एन.श्रीवास्तवा, *संयुक्त सचिव*